राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 296/2015/जयपुर

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, वृत्त तृतीय, जयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम

राज फूड (मैस),
कैम्पस् एमिटी यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय राजमार्ग–8,
कलवाड, जयपुर। ....प्रत्यर्थी.

2. अपील संख्या – 575/2015/जयपुर

राज फूड (मैस),
कैम्पस् एमिटी यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय राजमार्ग–8,
कलवाड, जयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, वृत्त तृतीय, जयपुर। ....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित ::

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक। ....विभाग की ओर से.
श्री एस.के.जैन,
अभिभाषक। ....व्यवहारी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 21.05.2018

निर्णय

1. अपीलार्थीगण द्वारा ये दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 21.08.2014 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 25, 55, 61 व 11 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2008–09 के लिये आरोपित वैट राशि रूपये 2,34,100/– उस पर आरोपित ब्याज राशि' राशि रूपये 86,620/– एवं धारा 11 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति राशि रूपये 1,000/– को यथावत् रखते हुए अधिनियम की धारा 61 के तहत् आरोपित शास्ति राशि रूपये 4,68,200/– को अपास्त किया है।

2. इन दोनों प्रकरणों में विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक संयुक्तादेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि व्यवहारी द्वारा एमिटी यूनिवर्सिटी कैम्पस में चलाये जा रहे मैस की एवं उपलब्ध रेकॉर्ड की सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, घट–तृतीय, वृत्त–तृतीय, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे **"जांच अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 24.09.2009 को जांच कर व्यवहारी की अनुपस्थिति में एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया। जिसके विरूद्ध व्यवहारी द्वारा प्रकरण पर पुनः

लगातार.....2

सुनवाई हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। जिसके विरूद्ध अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर कर बोर्ड ने निर्णय दिनांक 16.03.2012 पारित करते हुए कहा कि व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जावे। कर बोर्ड के उक्त आदेश की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने पुनः आदेश पारित करते हुए व्यवहारी पर वैट राशि रूपये 2,34,100/– उस पर आरोपित ब्याज राशि राशि रूपये 86,620/– एवं धारा 11 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति राशि रूपये 1,000/– तथा धारा 61 के तहत् शास्ति राशि रूपये 4,68,200/– का आरोपण कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उन्होंने अपने आदेश दिनांक 21.08.2014 द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए वैट, ब्याज एवं धारा 11 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को यथावत् रखा एवं धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर विभाग एवं व्यवहारी द्वारा यह दोनों अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. विभाग की ओर से विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर बहस के दौरान कथन किया कि दिनांक 09.03.2010 से पूर्व शैक्षणिक संस्थानों को आपूर्ति किया जाना वाला भोजन कर मुक्त नहीं था। इस प्रकार पके हुए भोजन की आपूर्ति पर वैट देय था। अतः व्यवहारी द्वारा जानबूझकर करापवंचन की नियत से कर व ब्याज को राजकोष में जमा नहीं करवाया। आगे उन्होंने अपीलीय अधिकारी द्वारा धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति पर पारित आदेश को अपास्त करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार एवं व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. व्यवहारी की ओर से उनके विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर कथन किया कि व्यवहारी द्वारा शैक्षणिक संस्थानों को प्रति व्यक्ति दर 1,500/– रूपये से कम पर भोजन की आपूर्ति की गई है, जिस पर राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या F.12(22)FD/Tax/10-86 दिनांक 09.03.2010 संशोधित अधिसूचना संख्या F.12(99)FD/Tax/2009-78 दिनांक 09.12.2011 द्वारा कर व ब्याज का आरोपण नहीं किया जा सकता है। आगे उन्होंने अपने कथन में व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

7. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा एमिटी यूनिवर्सिटी के कैम्पस में पके हुए भोजन का वितरण किया जाता है। इस भोजन वितरण पर व्यवहारी द्वारा वैट नहीं देने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने पके भोजन के वितरण पर वैट का आरोपण कर दिया, एवं वैट जमा नहीं करवाया जाना मानकर ब्याज एवं शास्ति का आरोपण भी कर दिया। व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर कथन किया कि राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या F.12(22)FD/Tax/10-86 दिनांक 09.03.2010 संशोधित अधिसूचना संख्या F.12(99)FD/Tax/2009-78 दिनांक 09.12.2011 द्वारा कर व ब्याज का आरोपण नहीं किया जा सकता है। अब चूंकि संशोधित अधिसूचना के अनुसार यह अधिसूचना दिनांक

लगातार.....3

01.04.2006 से प्रभाव में आ गई, परन्तु प्रति विधार्थी 1,500/– रूपये से अधिक राशि का पका हुआ भोजन की आपूर्ति किए जाने के कारण वैट कर की देयता बनती है एवं व्यवहारी द्वारा भोजन वितरण का कार्य आलौच्य अवधि वर्ष 2008–09 में किया जा रहा था, परन्तु उक्त अधिसूचना के अनुसार प्रति विधार्थी भोजन की दर 1,500/– से कम होने पर ही वैट कर पर मुक्ति दी जा सकती है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय के रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि अधिकाशतः संव्यवहारों में राशि 1,500/– से अधिक है, जिसका उल्लेख अपीलीय अधिकारी द्वारा भी अपने आदेश दिनांक 21.08.2014 में भी किया गया है। अतः व्यवहारी द्वारा प्रत्येक विधार्थी पर भोजन वितरण चार्ज 1,500/– से अधिक किये जाने के कारण उक्त अधिसूचना व्यवहारी पर लागू नहीं होती है, इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी पर आरोपित वैट, ब्याज एवं धारा 11 के अर्न्तगत आरोपित शास्ति उचित प्रतीत होने से यथावत् रखी जाती है।

8. हस्तगत प्रकरण में व्यवहारी द्वारा अपने समस्त संव्यवहार दर्शाये है, उनके द्वारा किसी भी संव्यवहार को नहीं छुपाया गया है। इस प्रकार न्यायिक निर्णय **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 23 वीएसटी 249(एससी) मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम तमिलनाडू सरकार व वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड (20) 2012, 32 टीयूडी** के अनुसार व्यवहारी द्वारा जब सभी प्राप्तियां नियमित लेखा पुस्तकों में इन्द्राज हैं तथा करापवंचन का कोई मनोभाव नहीं हैं तो ऐसी अवस्था में शास्ति का आरोपण नहीं किया जा सकता है। अतः शास्ति के बिन्दु पर विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

9. फलतः विभाग एवं व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य